संख्या-5/2023/984/चौरासी-1-2023-84-1002(002)/1/2023

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपभोक्ता मामले अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 06 दिसंबर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्वं लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय की मानक मद "01-वेतन" की बचतों से समान लेखाशीर्षक की अन्य- आवश्यक मदों में पुनर्विनियोग द्वारा आवंटन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिक माप विज्ञान विभाग में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय की 01-वेतन मद में हो रही बचतों से समान लेखाशीर्षक की अन्य मानक मदों यथा 04-यात्रा व्यय मद, 05-स्थानान्तरण यात्रा भत्ता मद, 11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई मद तथा 13-टेलीफोन पर व्यय मद के लिए भुगतान हेतु संलग्न बी0एम0-9 के विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदया रू0-32.51 लाख (रूपये बत्तीस लाख इक्यावन हजार मात्र) मात्र को पुनर्विनियोग कर व्यय करने की निम्न शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बचत की धनराशि विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बजट-1-178/दस-2023, दिनांक-10 नवम्बर,2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

अरविन्द सिंह,
अनु सचिव।

संख्या-5/2023/984/चौरासी-1-2023-84-1002(002)/1/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
6- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।